रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2001/श्रावण 17, 1923
No. 214] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2001/SRAVANA 17, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2001

सं. जी-27038/1/98-टीएएमपी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां अधिनियम) की धारा 47ज(2) के साथ पठित धारा 123क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की सहमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) इन विनियमों का नाम महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (भविष्य निधि) विनियम, 2001 होगा।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **लागू होना**

ये विनियम निम्नलिखित को छोड़कर प्राधिकरण की नियमित स्थापना के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे :

(i) अध्यक्ष

(ii) सदस्य (अंशकालिक सदस्य सहित)

(iii) एक माह से कम के नोटिस पर सेवा से मुक्त होने वाला व्यक्ति।

(iv) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी।

(v) अधिवर्षिता के पश्चात नियोजित व्यक्ति।

3. **परिभाषाएँ**

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी :

(i) 'अधिनियम' का आशय महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) से है।

(ii) 'लेखा अधिकारी' का आशय उस अधिकारी से है, जिसे प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा अभिदाता के भविष्य निधि लेखा का रखरखाव करने का दायित्व सौंपा गया है।

(iii) 'प्राधिकरण' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन गठित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से है।

(iv) 'अध्यक्ष' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के अध्यक्ष से है।

(v) 'जमा' का आशय उस जमा राशि से है जो भविष्य निधि खाते से राशि निकाले जाने के पश्चात अदावाकृत राशि/भुगतान नहीं की गई राशि प्राधिकरण के खाते में जमा की जाती है।

(vi) 'परिलब्धियों' का आशय सरकार के मूल नियमों में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन अथवा निर्वाह अनुदान से है और इसमें वेतन, छुट्टी वेतन अथवा निर्वाह अनुदान के अनुसार महंगाई वेतन, यदि स्वीकार्य हो, और अन्यत्र सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन के रूप में प्राप्त अन्य पारिश्रमिक भी शामिल हैं।

(vii) 'कर्मचारी' का आशय संबंधित सेवा विनियमों के अनुसार प्राधिकरण कार्यालय में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति से है।

(viii) 'परिवार' का अर्थ -

(क) पुरुष अभिदाता के मामले में, पत्नी अथवा पत्नियों, माता-पिता, बच्चों, अल्पवयस्क भाईयों, अविवाहित बहनों, मृत पुत्र की विधवा और बच्चों और जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों तो उसके दादा-दादी से है;

परंतु यदि अभिदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो चुकी है अथवा जिस समुदाय से उसका संबंध है, उस समुदाय की परंपरागत विधि के अनुसार वह भरण-पोषण की हक़दार नहीं रह गई है तो उसे तब तक इन विनियमों से संबंधित मामलों की बाबत अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा, जब तक कि अभिदाता उसके बाद में लेखाधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता कि अब वह उसके परिवार की सदस्या है।

(ख) महिला अभिदाता के मामले में, पति के माता-पिता, बच्चों, अल्पवयस्क भाईयों, अविवाहित बहनों , मृत पुत्र की विधवा और उसके बच्चों तथा जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों तो उसके दादा-दादी से है;

परंतु यदि अभिदाता द्वारा लेखाधिकारी को लिखित में सूचना देकर अपने पति को अपने परिवार से अलग करने की इच्छा प्रकट की जाती है तो पति को तब तक इन विनियमों से संबंधित मामलों की बाबत परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता उसके बाद में ऐसी सूचना को लिखित मे रद्द न कर दे।

टिप्पणी - 1 'संतान' का अर्थ विधिसम्मत संतान से है और इसमें उस स्थिति में दत्तक संतान भी शामिल है जब दत्तक-ग्रहण अभिदाता की शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8वां अधिनियम) के अधीन प्रतिपाल्य हो, जो कर्मचारी के साथ रहता हो तथा उसे परिवार का सदस्य समझा जाता हो और कर्मचारी ने उसे विशेष वसीयत के माध्यम से वही हैसियत दी हो जो अपनी संतान की होती है।

टिप्पणी - 2 ऐसे मामले में जहाँ व्यक्ति ने अपनी संतान को दूसरे व्यक्ति को दत्तक दिया हो और यदि, दत्तकग्राही की स्वीय विधि के अधीन, दत्तक-ग्रहण अपनी संतान की हैसियत के समान विधिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तो इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसी संतान को नैसर्गिक पिता के परिवार से अलग समझा जाएगा।

(ix) 'निधि' का आशय महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की भविष्य निधि से है।

(x) 'सरकार' का आशय केन्द्र सरकार से है।

(xi) 'प्राधिकरण का प्रमुख' का आशय अध्यक्ष से है।

(xii) 'कार्यालयाध्यक्ष' का आशय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा घोषित किसी अधिकारी से है।

(xiii) 'छुट्टी' का आशय सरकार के मूल नियमों अथवा सिविल सेवा विनियमों अथवा प्राधिकरण के छुट्टी विनियमों के अंतर्गत मान्य किसी प्रकार की छुट्टी से है।

(xiv) 'सदस्य' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य (अंशकालिक सदस्य सहित) से है।

(xv) 'स्थायी कर्मचारी' का आशय ऐसे कर्मचारी से है जो मूल पद अथवा अस्थायी मूल पद पर कार्यरत हो अथवा जिसका स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार हो अथवा जिसका उस स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता यदि पुनर्ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया जाता।

(xvi) 'व्यक्ति' अथवा 'व्यक्तियों' में कम्पनी अथवा व्यक्तियों की संस्था शामिल होगी, भले ही समाविष्ट हो अथवा नही। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा किसी अन्य न्यास अथवा निधि भी शामिल होगी; जिसके लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उक्त निधियों अथवा न्यास के सचिव अथवा अन्य अधिकारी के माध्यम से नामांकन किया गया हो।

(xvii) 'लोक सेवक' का आशय अधिनियम की धारा 112 के अधीन यथा परिभाषित व्यक्ति से है।

(xviii) निधि से अग्रिम आहरण की स्वीकृति के लिए 'मंजूरीदाता प्राधिकारी' अध्यक्ष अथवा इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी होगा।

(xix) 'अनुसूची' का आशय इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(xx) 'अभिदाता' का आशय इस निधि में अंशदान करने वाले किसी कर्मचारी/अधिकारी से है।

(xxi) 'वर्ष' का आशय वित्तीय वर्ष से है।

(2). इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियो का अर्थ, जिन्हें इन विनियमों मे परिभाषित नहीं किया गया है, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) अथवा सरकार के मूल नियमों में परिभाषित अर्थ के समान होगा।

(3). इनमें से कोई भी विनियम मौजूदा किसी भी भविष्य निधि पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि न्यासियों रूप से ऐसा निर्धारित न किया गया हो।

4. **निधि का गठन**

(i) एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि होगा। वह न्यासी बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा इसके लिए बनाए गए विनियमों के अनुसार शासित होगी।

(ii) निधि का रखरखाव रुपयों में किया जाएगा।

(iii) इन विनियमों के अधीन निधि में भुगतान की गई समस्त राशियाँ महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि के बही खातों में जमा की जाएगी।

5. **पात्रता की शर्तें**

सभी अस्थायी कर्मचारी एक वर्ष की सतत् सेवा के पश्चात, सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी (अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल कर्मचारियों से भिन्न) और सभी स्थायी कर्मचारी इस निधि में अभिदान करेंगे;

परंतु, अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने के लिए यथा अपेक्षित अथवा अनुमत्त कर्मचारी इस निधि में शामिल होने अथवा अभिदाता के रूप में बने रहने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी - 1 इन विनियमों के प्रयोजन से परिवीक्षार्थियों को अस्थायी कर्मचारी माना जाएगा।

टिप्पणी - 2 किसी माह के मध्य में एक वर्ष की सतत सेवा पूरी करने वाला अस्थायी कर्मचारी उसके अगले माह से निधि में अभिदान करेगा।

टिप्पणी - 3 अस्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन कर्मचारियों सहित) जिन्हें नियमित पदों (रिक्तियों) पर नियुक्त किया गया हो और जिनके एक वर्ष से अधिक अवधि तक बने रहने की संभावना है, एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व किसी भी समय निधि में अभिदान कर सकते हैं।

6. **नामांकन**

(i) निधि में शामिल होने के समय अभिदाता कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को एक नामांकन भेजेगा/भेजेगी जिसमें राशि के देय होने से अथवा राशि के देय होने पर भुगतान किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निधि में जमा उसकी जमा राशि को प्राप्त करने के लिए एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा;

परंतु, जहॉ अभिदाता अवयस्क है तो वह अपने वयस्क होने पर ही नामांकन करेगा/करेगी;

परंतु यह भी कि जिस अभिदाता का नामांकन करने के समय परिवार हो, वह ऐसा नामांकन केवल अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में ही करेगा/करेगी;

परंतु यह भी कि किसी अन्य भविष्य निधि के मामले में, जिसमें वह इस निधि में शामिल होने से पूर्व अभिदान कर रहा था/रही थी, किया गया नामांकन, यदि ऐसी अन्य किसी निधि में उसकी जमा राशि को इस निधि में स्थानांतरित कर जमा किया गया है तो वह नामांकन तब तक इन विनियमों के अधीन किया गया नामांकन माना जाएगा जब तक वह इन विनियमों के अनुसार नामांकन नहीं करता/करती।

(ii) यदि अभिदाता विनियम 6(i) के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता/करती है तो वह प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को देय राशि या अंश को इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा/करेगी कि नामांकन में किसी भी समय निधि में जमा पूरी राशि उसके अंतर्गत आ जाए।

(iii) प्रत्येक नामांकन इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-I में दिए गए प्रपत्र में भरा जाएगा।

(iv) अभिदाता किसी भी समय कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लेखाधिकारी को लिखित में सूचना भेजकर नामांकन रद्द कर सकता/सकती है। अभिदाता इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सूचना के साथ या अलग से नया नामांकन भेजेगा/भेजेगी।

(v) अभिदाता नामांकन में -

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति के संबंध में यह प्रावधान कर सकता/सकती है कि यदि उसकी मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है तो ऐसी नामिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाएगा, जिसे नामांकन में विनिर्दिष्ट किया गया है। जब अभिदाता ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को देता/देती है तो वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय राशि या अंश को इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा/करेगी कि उसके अंतर्गत नामित व्यक्ति को देय पूरी राशि आ जाए।

(ख) नामांकन उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के होने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा;

परंतु, यदि नामांकन करते समय अभिदाता के परिवार में केवल एक सदस्य है तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा/करेगी कि विनियम 6 (v) (क) के अंतर्गत वैकल्पिक नामिती को प्रदत्त अधिकार, उसके परिवार में बाद में अन्य सदस्य अथवा सदस्यों के शामिल होने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा।

(vi) ऐसे नामिती की मृत्यु के तुरंत बाद, जिसके संबंध में खंड 6 (v) (क) के अधीन कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है अथवा ऐसी किसी स्थिति के उत्पन्न होने पर, जिसके कारण खंड 6 (v) (ख) के अनुसार नामांकन अमान्य हो जाता है तो अभिदाता नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किए गए नए नामांकन के साथ, कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लेखाधिकारी को भेजेगा/भेजेगी।

(vii) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा रद्द किए जाने की प्रत्येक सूचना, जहां तक वह मान्य है, कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगी।

टिप्पणी-1 : इन विनियमों के अंतर्गत किया गया नामांकन दूसरे विनियमों के अधीन अमान्य हो जाएगा, बशर्ते बाद वाले विनियमों में यथा अपेक्षित संशोधन किया जाए।

टिप्पणी-2 : अभिदाता द्वारा इस संबंध में सेवानिवृत्ति/सेवा-मुक्ति आदि के पश्चात भी नामांकन में परिवर्तन किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते परिवर्तन अथवा संशोधित नामांकन इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार बनाए और अधिसूचित किए जाएं।

टिप्पणी-3 : यदि नामांकन के लेखाधिकारी के पास पहुंचने से पूर्व ही अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो तब भी अभिदाता का नामांकन मान्य समझा जाएगा।

अभिदाता का खाता

प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे : -

(i) अभिदाता का अभिदान

(ii) अभिदान पर विनियम 12 द्वारा उपबंधित ब्याज; और,

(iii) निधि से अग्रिम और आहरण।

टिप्पणी : किसी कर्मचारी के निधि में शामिल होने के पश्चात यथाशीघ्र उसे आबंटित निधि खाता संख्या रबड़ की स्टाम्प लगाकर उसकी सेवा-पुस्तिका के पृष्ठ के दाएं ओर शीर्ष पर दर्ज किया जाएगा।

अभिदान संबंधी शर्तें

(i) अभिदाता निधि में प्रतिमाह, उस अवधि को छोड़कर जब वह निलंबनाधीन हो, अभिदान करेगा/करेगी;

परंतु, अभिदाता को अपनी इच्छानुसार ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने की छूट होगी, जिसके लिए कोई छुट्टी वेतन न हो अथवा जिसका छुट्टी वेतन आधे वेतन अथवा औसत आधे वेतन के बराबर हो अथवा कम हो;

परंतु यह भी कि अभिदाता के निलंबनाधीन अवधि बीत जाने के पश्चात सेवानिवृत होने पर उस अवधि के लिए देय अभिदान बकाया की अधिकतम राशि तक की राशि का भुगतान एकमुश्त अथवा किस्तों में करने का विकल्प होगा।

टिप्पणी : अभिदाता को अकार्य दिवस मानी गई अवधि के दौरान अभिदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) अभिदाता खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के अपने विकल्प की सूचना देगा/देगी।

(iii) समय से पूर्व एवं समय पर सूचना न देने पर, अभिदान करने का विकल्प माना जाएगा।

(iv) अभिदाता द्वारा सूचित किया गया विकल्प अंतिम होगा।

(v) यदि अभिदाता ने इन विनियमों के विनियम 21 के अधीन निधि में जमा अपनी राशि निकाली है तो वह ऐसी राशि निकालने के बाद तब तक निधि में अभिदान नहीं करेगा/करेगी जब तक कि वह डयूटी पर वापस नहीं आ जाता/जाती।

अभिदान की दर

(क) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिदान की राशि का निर्धारण स्वयं अभिदाता द्वारा किया जाएगा :

(i) दर पूरे रुपए में दर्शाई जाएगी।

(ii) दर्शाई गई कोई भी राशि उसकी परिलब्धियों के 6% से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(iii) जब कोई कर्मचारी 6% की न्यूनतम दर से अभिदान करने का विकल्प लेता/लेती है तो रुपए के भाग को निकटतम पूर्णांक में दर्शाया जाएगा और 50 पैसे की गणना अगले उच्चतर रुपए के रूप में की जाएगी।

(ख) खंड (क) (i) के प्रयोजन से अभिदाता की परिलब्धियाँ निम्नलिखित होंगी : -

(i) अभिदाता पिछले वर्ष 31 मार्च को जिन परिलब्धियों का हक़दार था/थी,

परंतु -

(क) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था/थी और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प दिया था अथवा उक्त तारीख को निलंबनाधीन था/थी तो उसकी परिलब्धियाँ वे परिलब्धियाँ होंगी जिनका/जिनकी वह डयूटी पर वापस आने के पश्चात प्रथम दिन हक़दार था/थी; और,

(ख) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था/थी अथवा उक्त तारीख को छुट्टी पर था/थी और छुट्टी पर ही बना रहता/रहती है तथा ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प देता/देती है तो उसकी परिलब्धियाँ वे परिलब्धियाँ होंगी, जिनका/जिनकी वह भारत में डयूटी पर होने की स्थिति में हक़दार होता/होती।

(ii) ऐसे अभिदाता के मामले में, जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को सेवा में नहीं था/थी, वे परिलब्धियाँ होंगी जिनके लिए वह सेवा में शामिल होने की तारीख को हक़दार था/थी।

(ग) अभिदाता प्रत्येक वर्ष अपने मासिक अभिदान की राशि के निर्धारण की सूचना निम्नलिखित रूप में देगा/देगी :

(i) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को डयूटी पर था/थी तो उस माह के लिए अपने वेतन बिल से इसके लिए की गई कटौती द्वारा;

(ii) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था/थी और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प नहीं दिया था अथवा उस तारीख को निलंबनाधीन था/थी तो ऐसी कटौती द्वारा, जो वह डयूटी पर वापस आने के पश्चात अपने प्रथम वेतन बिल से इसके लिए करता/करती है;

(iii) यदि वह वर्ष के दौरान सेवा में पहली बार प्रविष्ट हुआ/हुई है तो जिस माह से वह निधि में शामिल हुआ/हुई है, उस माह के वेतन बिल से इस प्रयोजन के लिए की गई कटौती द्वारा;

(iv) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था/थी और छुट्टी पर बना रहता है/बनी रहती है तथा ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान के लिए विकल्प दिया है तो उस माह के लिए अपने वेतन बिल से इसके लिए की गई कटौती द्वारा; और,

(v) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में था/थी तो चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के लिए अभिदान के बैंक खाते में उसके द्वारा जमा कराई गई राशि द्वारा।

(घ) इस प्रकार निर्धारित की गई अभिदान की राशि -

(i) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार कम की जा सकती है; अथवा,

(ii) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकती है; अथवा,

(iii) उपर्युक्त के अनुसार कम की जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है;

परंतु, जब अभिदान की राशि इस प्रकार कम की जाती है तो यह खंड (क) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी;

इसके अलावा यदि अभिदाता केलेंडर माह के किसी हिस्से के लिए बिना वेतन अथवा आधे वेतन अथवा औसत अर्ध-वेतन पर छुट्टी पर है और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अभिदान नहीं करने का विकल्प दिया है तो अभिदान की देय राशि उपर्युक्त छुट्टी से इतर छुट्टी सहित, यदि कोई हो, ड्यूटी पर व्यतीत किए गए दिनों की संख्या की समानुपातिक होगी।

10. अन्यत्र सेवा में स्थानांतरण अथवा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति

जब किसी अभिदाता को अन्यत्र सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है अथवा उसे भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है तो यह उसी प्रकार निधि के विनियमों के अधीन बना रहेगा/रहेगी, मानों कि उसका ऐसा स्थानांतरण नहीं किया गया हो अथवा प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो।

11. अभिदान की वसूली

(i) यदि परिलब्धियाँ भारत में किसी बैंक अथवा भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय से आहरित की जाती हैं तो परिलब्धियों के लिए अभिदान की वसूली और अग्रिमों के मूल और ब्याज की वसूली परिलब्धियों से ही की जाएगी।

(ii) यदि परिलब्धियाँ किसी अन्य स्रोत से आहरित की जाती हैं तो अभिदाता अपनी देय राशि प्रतिमाह लेखाधिकारी को भेजेगा/भेजेगी;

परंतु, सरकारी विभाग, सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदाता के मामले में, अभिदानों की वसूली उसी विभाग अथवा निकाय द्वारा की जाएगी और लेखाधिकारी को भेजी जाएगी।

(iii) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से अभिदान नहीं कर पाता/पाती, जिस तारीख से उसे निधि में शामिल होना था अथवा विनियम 8 में यथा उपबंधित से अन्यथा वर्ष के दौरान किसी माह अथवा माहों में अभिदान नहीं करता/करती है तो अभिदान की बकाया राशि के लिए निधि में देय कुल राशि का विनियम 12 में उपबंधित दर पर ब्याज सहित अभिदाता द्वारा निधि में तत्काल भुगतान किया जाएगा अथवा चूक की स्थिति में लेखाधिकारी द्वारा उस राशि को अभिदाता की परिलब्धियों में से किस्तों में अथवा किसी अन्य प्रकार से कटौती करके वसूली करने का आदेश दिया जाएगा, या अन्यथा जैसा कि अग्रिम की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए, जिसकी मंजूरी के लिए विनियम 13 (ग) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हैं।

परंतु उन अभिदाताओं से कोई ब्याज नही लिया जाएगा, जिनकी निधि में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं होता।

12. ब्याज

(i) खंड (v) के उपबंधों के अधीन, यह प्राधिकरण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित संगणना की पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए यथा निर्धारित दर से अभिदाता की जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा;

परंतु, यदि किसी वर्ष के लिए निर्धारित ब्याज दर 4% से कम है तो जिस वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रथम बार 4% से कम निर्धारित की गई है, उस वर्ष से पिछले वर्ष में निधि के सभी अभिदाताओं को 4% की दर से ब्याज दिया जाएगा;

परंतु यह भी कि जो अभिदाता पहले किसी अन्य भविष्य निधि में अभिदान कर रहा था/रही थी और जिसकी अभिदान राशि को उस पर ब्याज सहित विनियम 24 के अधीन उसकी निधि में अंतरित कर दिया गया हो और यदि वह उपर्युक्त उपबंध के समान किसी उपबंध के अंतर्गत ऐसी अन्य निधियों के विनियमों और नियमों के अंतर्गत उस दर पर ब्याज प्राप्त कर रहा था/रही थी तो उसे 4% की दर से ब्याज दिया जाएगा।

(ii) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से निम्नलिखित ढंग से जमा किया जाएगा :

(क) पिछले वर्ष के अंतिम दिन अभिदाता की जमा राशि पर चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि को घटाने

(ख) चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि पर - चालू वर्ष के प्रारंभ से आहरण माह से पिछले माह के अंतिम दिन तक ब्याज;

(ग) पिछले वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात अभिदाता के खाते मे जमा पूरी राशि पर - जमा कराने की तारीख से चालू वर्ष के अंत तक ब्याज;

(घ) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपयों मे पूर्णांकित की जाएगी, पचास पैसे को एक रुपया माना जाएगा;

परंतु, यदि किसी अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है तो उस पर ब्याज केवल चालू वर्ष के प्रारंभ से अथवा जमा करने की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, उस तारीख तक जमा किया जाएगा जब अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाए।

(iii) परिलब्धियों से वसूली के मामले में जमा करने की तारीख उस माह के प्रथम दिन से समझी जाएगी, जिस माह में वसूली की गई है और अभिदाता द्वारा भेजी जाने वाली राशि के मामले मे अभिदान प्राप्ति के माह का प्रथम दिन समझा जाएगा, बशर्ते वह उस माह के पांचवें दिन से पूर्व लेखाधिकारी को प्राप्त हो जाए, परतु यदि अभिदान की राशि उस माह के पाचवें दिन अथवा उसके पश्चात प्राप्त होती है तो आगामी माह का प्रथम दिन समझा जाएगा;

परंतु, यदि किसी अभिदाता के वेतन अथवा छुट्टी वेतन और भत्तों के आहरण में विलब हुआ है और इसके फलस्वरूप निधि में उसके अभिदान की वसूली में विलंब हुआ है तो ऐसे अभिदानो पर ब्याज उस माह से देय होगा, जिसमें विनियमों के अधीन अभिदाता का वेतन अथवा छुट्टी वेतन देय था, चाहे वह वास्तव में किसी भी माह मे आहरित किया गया हो;

परंतु यह भी कि विनियम 11 (ii) के उपबंधो के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में यदि यह उस माह के 15वें दिन से पूर्व लेखाधिकारी को प्राप्त हो जाती है तो जमा कराने की तारीख को उस माह का प्रथम दिन समझा जाएगा;

परंतु यह भी कि अभिदाता के अभिदान की वसूली के मामले में, जहाँ किसी माह के लिए परिलब्धियाँ उसी माह के अंतिम कार्यदिवस को आहरित और संवितरित की जाती हैं तो जमा कराने की तारीख को आगामी माह का प्रथम दिन समझा जाएगा।

(iv) विनियम 20, 21 अथवा 22 के अंतर्गत दी जाने वाली किसी राशि के अलावा उस पूर्ववर्ती माह के अंत में, जब भुगतान किया गया था, अथवा छह माह के अंत तक, जब यह राशि देय हुई हो, इन अवधियों में से जो कम हो, पर ब्याज उस व्यक्ति को देय होगा, जिसे ऐसा भुगतान किया जाना है;

परंतु यदि लेखाधिकारी ने उस व्यक्ति (अथवा उसके अभिकर्ता) को ऐसी तारीख की सूचना दे दी है, जिस तारीख को वह नकद भुगतान करने के लिए तैयार है अथवा उस व्यक्ति को भुगतान के लिए डाक से चेक भेज दिया है तो ब्याज केवल उस पूर्ववर्ती माह के अंत तक, जिसकी तारीख सूचित की गई है अथवा डाक से चेक भेजने की तारीख तक, जैसी भी स्थिति हो, देय होगा;

परंतु यह भी कि यदि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कोई अभिदाता पूर्वव्यापी तारीख से प्राधिकरण में आमेलित हो जाता है तो अभिदाता के निधि संचय पर देय ब्याज के परिकलन के लिए आमेलन संबंधी आदेशों को जारी करने की तारीख को वह तारीख समझा जाएगा जब राशि इन शर्तों के अधीन अभिदाता को देय हुई हो कि आमेलन की तारीख से शुरू अवधि के दौरान और आमेलन के आदेशों को जारी करने की तारीख तक अभिदान के रूप में वसूल की गई राशि को इन विनियमों के लिए अभिदान समझा जाएगा।

(v) यदि अभिदाता लेखाधिकारी को यह सूचित करता/करती है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता/चाहती, तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा, परंतु यदि वह उसके पश्चात ब्याज के लिए कहता/कहती है तो उस वर्ष के प्रथम दिन से ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा, जिस वर्ष में इसके लिए कहा गया था।

(vi) विनियम 11 (iii), 20 अथवा 21 के अंतर्गत निधि में अभिदाता के खाते में रखी जाने वाली राशि पर ब्याज का परिकलन ऐसी दर पर, जिसका खंड (i) के अंतर्गत उत्तरोत्तर निर्धारण किया जाए और यथासंभव इस विनियम में वर्णित रीति से किया जाएगा।

(vii) यदि कोई अभिदाता आहरण की तारीख को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निधि से आहरित कर लेता/लेती है तो इस बात की ओर ध्यान दिए बिना कि आहरित की गई अधिक राशि निधि के अग्रिम रूप में ली गई है अथवा आहरित की गई है अथवा अंतिम आहरण किया गया है, आहरित की गई अधिक राशि को ब्याज सहित अभिदाता द्वारा अपनी परिलब्धियों से एकमुश्त चुकाया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि अभिदाता की परिलब्धियों की आधी

राशि से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों में से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि ब्याज सहित पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती। निकाली गई अधिक राशि पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर खंड (i) के अंतर्गत निधि शेष पर सामान्य दर से 2 1/2 प्रतिशत अधिक होगी। निकाली गई अधिक राशि पर वसूल किया गया ब्याज "निधि से आहरित अधिक राशि पर ब्याज" उप-शीर्ष के अंतर्गत निधि में जमा किया जाएगा।

13. निधि से अग्रिम

(क) मंजूरी प्राधिकारी किसी अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक अथवा एक से अधिक के लिए ऐसी राशि के अग्रिम रूप में भुगतान करने की मंजूरी दे सकता है जो पूर्ण रुपए में हो और अभिदाता के तीन माह की वेतन राशि अथवा निधि में उसकी जमा राशि के आधे से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी :

(i) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों अथवा उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था अथवा अशक्तता संबंधित व्यय का भुगतान करने के लिए, इसमें आवश्यक होने पर यात्रा व्यय भी शामिल है।

(ii) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों अथवा उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति को उच्चतर शिक्षा के खर्च के लिए, इसमें आवश्यक होने पर यात्रा व्यय भी शामिल है : -

(क) भारत से बाहर उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक अथवा वृत्तिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; और,

(ख) भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर किसी चिकित्सा, इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी विशेषज्ञता पाठ्यक्रम (इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित) के लिए परंतु पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष से कम न हो।

(iii) अभिदाता की हैसियत के अनुसार समुचित स्तर के किसी बाध्यकर व्यय के भुगतान के लिए, जो व्यय अभिदाता के रीति-रिवाज़ों के अनुसार उसे सगाई अथवा विवाह, अंत्येष्टि अथवा किन्हीं अन्य संस्कारों के संबंध में खर्च करना पड़े।

(iv) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का खर्च वहन करने के लिए, इस मामले में अग्रिम किसी अन्य स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए स्वीकार्य किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा।

(v) यदि अभिदाता अपने विरुद्ध अभिकथित शासकीय कदाचार के संबंध में किसी जॉच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता/करती है तो उसकी प्रतिरक्षा का खर्च वहन करने के लिए।

(vi) टीवी, वीसीआर/वीसीपी, वाशिंग मशीन, खाने पकाने का सामान, गीज़र, कम्प्यूटर जैसी उपभोक्ता वस्तुएँ खरीदने के लिए।

(ख) विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष किसी अभिदाता को किसी अग्रिम के भुगतान की मंजूरी दे सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि संबंधित अभिदाता के लिए खंड (क) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से यह अग्रिम आवश्यक है।

(ग) किसी भी अभिदाता को, लिखित में दर्ज विशेष कारणों को छोड़कर खड (क) में निर्धारित सीमा से अधिक अग्रिम नहीं दिया जाएगा अथवा तब तक कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा जब तक इससे पूर्व लिए गए किसी अग्रिम की अंतिम किस्त की चुकौती न कर दी हो।

(घ) जब खंड (ग) के अंतर्गत कोई अग्रिम पहले लिए गए किरी अग्रिम की अंतिम किस्त की चुकौती पूरी होने से पूर्व मंजूर किया जाता है तो पहले लिए गए किसी अग्रिम की वसूल न की गई शेष राशि को इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किस्तें समेकित राशि के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

(ड.) अग्रिम मंजूर करने के पश्चात ऐसे मामले में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम 23 (iii) के अंतर्गत लेखाधिकारी को भेजा गया हो तो राशि लेखाधिकारी से प्राधिकृत किए जाने पर ही आहरित की जाएगी।

टिप्पणी : खंड (क) की मद (ii) के अंतर्गत अभिदाता को प्रत्येक छह माह में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति होगी।

14. अग्रिम की वसूली

(i) अभिदाता से अग्रिम की वसूली ऐसी समान मासिक किस्तों में की जाएगी जो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परंतु ऐसी किस्तें तब तक बारह से कम नहीं होगी जब तक अभिदाता ऐसा विकल्प न दे और चौबीस से अधिक

नहीं होंगी। जिन विशेष मामलों में अग्रिम की राशि विनियम 13 (ग) के अंतर्गत अभिदाता के 3 माह के वेतन से अधिक हो तो मंजूरी प्राधिकारी किस्तों की संख्या चौबीस से अधिक निर्धारित कर सकता है, परंतु छत्तीस से अधिक किस्तें किसी भी हालत में निर्धारित नहीं कर सकता। अभिदाता अपने विकल्पानुसार किसी माह में एक से अधिक किस्तों की चुकौती कर सकता/सकती है।

(ii) वसूली, अभिदान की वसूली के लिए विनियम 11 में निर्धारित रीति से की जाएगी और वसूली जिस माह में अग्रिम लिया गया था ठीक उसके अगले माह के वेतन से आरंभ होगी। जब अभिदाता जीवन-निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा/रही हो अथवा किसी केलेंडर माह में दस दिन अथवा उससे अधिक दिन के लिए छुट्टी पर हो, जिसके लिए उसे कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता अथवा अर्धवेतन या अर्धवेतन के समतुल्य या उससे कम अथवा औसत आधा वेतन मिलता है, जैसी भी स्थिति हो, तो अभिदाता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी। अभिदाता के लिखित अनुरोध पर मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को स्वीकार किए गए वेतन के अग्रिम की वसूली के दौरान वसूली को स्थगित कर सकता है।

(iii) यदि किसी अभिदाता को कोई अग्रिम दिया जाता है और अभिदाता द्वारा उसे लिया जाता है और बाद में चुकौती पूरी होने से पूर्व अग्रिम अस्वीकार कर दिया जाता है तो अभिदाता को निकाली गई पूरी अथवा शेष राशि तत्काल निधि में वापिस करनी होगी, अथवा चूक की स्थिति में लेखाधिकारी द्वारा विशेष कारणों से अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुश्त अथवा अधिकतम 24 किस्तों में, जैसा अग्रिम स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए, कटौती द्वारा वसूल करने का आदेश दिया जाएगा।

परंतु, इस प्रकार का अग्रिम अस्वीकार करने से पूर्व अभिदाता को सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मंजूरी प्राधिकारी को लिखित में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा कि चुकौती क्यो न लागू की जाए और यदि अभिदाता उक्त 15 दिन की अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है तो उसे निर्णय के लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा और यदि अभिदाता उक्त अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है तो अग्रिम की चुकौती इस उप-विनियम में निर्धारित रीति के अनुसार लागू की जाएगी।

(iv) अभिदाता से की गई वसूलियाँ, वसूल करते ही निधि में अभिदाता के खाते में जमा कर दी जाएंगी।

निधि से राशि आहरण

(क) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत, अग्रिम स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियम 13 (ग) के अंतर्गत विशेष कारणों से किसी भी समय राशि आहरण की मंजूरी दी जा सकती है :

(1) अभिदाता की 15 वर्ष की सेवा (खंडित सेवा अवधि सहित, यदि कोई हो) पूरी होने के पश्चात अथवा अधिवर्षिता होने पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 10 वर्ष के अन्दर, इनमें जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते मे जमा राशि में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक अथवा एक से अधिक के लिए राशि दी जा सकती है . -

(क) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता अथवा अभिदाता की किसी संतान की उच्चतर शिक्षा की लागत और आवश्यक होने पर यात्रा खर्च वहन करने के लिए -

(i) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिका अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए; और

(ii) भारत मे हाई स्कूल स्तर से ऊपर किसी चिकित्सा, इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए।

(ख) अभिदाता अथवा उसके पुत्रों या उसकी पुत्रियों और उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य लड़की (रिश्तेदार) की सगाई/विवाह के संबध में खर्च वहन करने के लिए;

(ग) अभिदाता और उसके परिवार के सदस्य अथवा उस पर वास्तव मे आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी और आवश्यक होने पर यात्रा खर्च के सबंध मे खर्च वहन करने के लिए; और

(घ) टीवी, वीसीआर/वीसीपी, वाशिंग मशीन, खाने पकाने का सामान, गीज़र, कम्प्यूटर जैसी उपभोक्ता वस्तुओ की लागत का वहन करने के लिए।

(2) अभिदाता की सेवा के दौरान निधि में उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक अथवा एक से अधिक के लिए, अर्थात् -

(क) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान का निर्माण करने अथवा अर्जित करने अथवा बने-बनाए फ्लैट अर्जित करने, जिसमें स्थान की लागत भी शामिल है, अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण राज्य आवास बोर्ड अथवा भवन निर्माण सोसायटी द्वारा प्लॉट अथवा फ्लैट के आबटन के संबंध में भुगतान करने;

(ख) अपने रहने के लिए उपयुक्त मकान का निर्माण करने अथवा अर्जित करने अथवा बने-बनाए फ्लैट के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि की चुकौती करने;

(ग) अपने रहने के लिए मकान बनाने के प्रयोजनार्थ गृह स्थल खरीदने अथवा इस प्रयोजन से स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि की चुकौती करने;

(घ) पहले से अभिदाता के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा अर्जित मकान अथवा फ्लैट का पुनर्निर्माण करने अथवा परिवर्धन या परिवर्तन करने;

(ङ.) पैतृक अथवा प्राधिकरण की सहायता अथवा उससे ऋण लेकर बनाए गए मकान का नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन करने अथवा उसे ठीक-ठाक रखने; और

(च) खण्ड (क) (2) (ग) के अंतर्गत खरीदे गए स्थल पर मकान का निर्माण करना।

(3) अधिवर्षिता होने पर अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 12 माह के अन्दर निधि में उसके खाते में जमा राशि से, किसी प्रयोजन से जोड़े बिना, राशि आहरण की मंजूरी दी जा सकती है; और

(4) स्व-वित्त और अंशदायी आधार पर कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में अभिदाता द्वारा भुगतान किए गए एक वर्ष के अभिदान के समतुल्य राशि एक वित्त वर्ष के दौरान एक बार स्वीकृत की जा सकती है।

टिप्पणी-1 : यदि किसी अभिदाता के पास अपने डयूटी स्थान से भिन्न किसी स्थान पर पैतृक मकान है अथवा उसने प्राधिकरण से लिए गए ऋण की सहायता से मकान बनाया है तो वह अपने डयूटी के स्थान पर मकान-स्थल खरीदने अथवा दूसरा मकान का निर्माण करने अथवा निर्मित फ्लैट् अर्जित करने के लिए खंड (क) (2) (क), (ग) और (च) के अंतर्गत अंतिम रूप से राशि निकालने की मंजूरी का पात्र होगा।

टिप्पणी-2 : खंड (क) (2) (क), (घ), (ङ.) अथवा (च) के अंतर्गत राशि का आहरण अभिदाता द्वारा बनाए जाने वाले मकान या मकान में किए जाने वाले परिवर्तनों का उस क्षेत्र की नगरपालिका निकाय द्वारा अनुमोदित नक्शा प्रस्तुत करने के पश्चात ही मंजूर किया जाएगा जहाँ स्थल अथवा मकान स्थित है और केवल उन्हीं मामलों मे मंजूर किया जाएगा जिनमें नक्शा वास्तव में अनुमोदित कराया गया हो।

टिप्पणी-3 : खंड (क) (2) (ख) के अंतर्गत स्वीकृत आहरण की राशि खंड (क) (2) (क) के अंतर्गत पिछले आहरण की राशि सहित, आवेदन की तारीख को, पिछले आहरण की राशि को घटाने के बाद शेष राशि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी-4 : खंड (क) (2) के उप-खंड (क) अथवा (घ) के अंतर्गत राशि के आहरण की अनुमति उस स्थिति में भी दी जाएगी, जहाँ मकान-स्थल अथवा मकान पति अथवा पत्नी के नाम से है, बशर्ते वह अभिदाता द्वारा किए गए नामांकन में भविष्य निधि धन प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिती हो।

टिप्पणी-5 : एक ही प्रयोजन के लिए केवल एक ही आहरण की अनुमति दी जाएगी। किन्तु अलग-अलग बच्चों के विवाह या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर बीमारी अथवा उस क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा, जहाँ स्थित है, विधिवत अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार मकान अथवा फ्लैट में अतिरिक्त परिवर्धन अथवा परिवर्तन को एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा। उसी मकान को पूरा करने के लिए खंड (क) (2) (क) अथवा (च) के अंतर्गत दूसरी बार और उसके बाद आहरण करने के संबंध में टिप्पणी-3 के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी-6 : यदि एक ही प्रयोजन से और एक ही समय पर विनियम 13 के अंतर्गत अग्रिम स्वीकार किया जाता है तो इस विनियम के अंतर्गत राशि आहरित करने की अनुमति नही दी जाएगी।

(ख) जब कोई अभिदाता बाद मे किए गए अभिदान के साक्ष्य सहित अपने भविष्य निधि बही पुस्तिका के संदर्भ में अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करने की स्थिति में है तो मंजूरी प्राधिकारी स्वयं ही निर्धारित सीमाओं के भीतर आहरण की मंजूरी दे सकता है, जैसा कि प्रतिदेय अग्रिम के मामले में होता है। ऐसा करते समय मंजूरी प्राधिकारी ऐसी राशि के आहरण अथवा प्रतिदेय अग्रिम को, जो उसने अभिदाता के पक्ष मे पहले ही मंजूर किया है, ध्यान में रखेगा। परंतु, जहाँ अभिदाता आहरण की राशि की स्वीकार्यता निर्धारित करते समय अपनी जमा

राशि के बारे में मंजूरी प्राधिकारी को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है तो मंजूरी प्राधिकारी स्वयं लेखाधिकारी के पास मामले को भेज कर इसे सुनिश्चित कर सकता है। आहरण की मंजूरी में भविष्य निधि लेखा संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और मंजूरी की एक प्रति लेखाधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना मंजूरी प्राधिकारी का दायित्व होगा कि लेखा अधिकारी से इस संबंध में अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली जाए कि आहरण की मंजूरी अभिदाता के खाता-लेखा में दर्ज कर दी गई है। यदि लेखाधिकारी यह सूचना देता है कि मंजूर की गई आहरण की राशि अभिदाता के खाते में जमा राशि से अधिक है अथवा किसी अन्य कारण से स्वीकार्य नहीं है तो अभिदाता द्वारा आहरित राशि की तुरंत एकमुश्त रूप में चुकौती की जाएगी और ऐसी चुकौती न किए जाने पर मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि अभिदाता की परिलब्धियों में से यह राशि एकमुश्त रूप में अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई मासिक किस्तों में वसूल की जाए।

(ग) आहरण की मंजूरी के पश्चात राशि का आहरण, विनियम 23 (iii) (क) के अंतर्गत लेखाधिकारी को अंतिम भुगतान के लिए आवेदन भेजे जाने वाले मामलों में लेखाधिकारी से प्राधिकार प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

6. **आहरण की शर्तें**

(क) अभिदाता द्वारा विनियम 15 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक अथवा एक से अधिक के लिए एक समय में निधि में जमा अपनी राशि में से आहरित राशि सामान्यतः ऐसी राशि के आधे अथवा छह माह के वेतन से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी। मंजूरी प्राधिकारी, इस सीमा से अधिक राशि के आहरण की मंजूरी निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निधि में जमा उसकी शेष राशि का तीन चौथाई तक दे सकता है -

(i) उद्देश्य, जिसके लिए राशि निकाली जा रही है;

(ii) अभिदाता की हैसियत; और,

(iii) विनियम 15 (क) (1) के अंतर्गत आहरण के मामले में निधि में उसके खाते में जमा राशि तथा विनियम 15 (क) (2) के अंतर्गत आहरण के मामलों मे जमा शेष राशि के 90% तक।

परंतु विनियम 15 (क) (3) के अंतर्गत स्वीकार्य आहरण निधि में अभिदाता के खाते में जमा राशि के 90% से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी-1 : विनियम 15 (क) (1) (क) के अंतर्गत अभिदाता को आहरित राशि अभिदाता की संबद्ध संतान का पाठ्यक्रम जारी रहने तक वार्षिक किस्तों मे देने की अनुमति होगी।

टिप्पणी-2 : ऐसे मामले में जहाँ अभिदाता को खरीदे गए स्थल अथवा मकान अथवा फ्लैट अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा किसी राज्य आवास बोर्ड अथवा किसी भवन निर्माण सहकारी संस्था के माध्यम से निर्मित मकान अथवा फ्लैट के लिए किस्तों में भुगतान करना है तो उसे तब ऐसे आहरण की अनुमति दी जाएगी, जब उसे ऐसी किसी किस्त का भुगतान करना होगा : ऐसा प्रत्येक भुगतान खंड (क) के प्रयोजन के पृथक प्रयोजन के लिए भुगतान माना जाएगा।

(ख) जिस अभिदाता को विनियम 15 के अंतर्गत निधि से राशि निकालने की अनुमति दी गई है, वह मंजूरी प्राधिकारी को, ऐसी उचित अवधि के अन्दर जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, संतुष्ट करेगा कि राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह आहरित की गई थी और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो आहरित की गई सम्पूर्ण राशि अथवा उस राशि का उतना भाग जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग मे नहीं लाया गया है, जिसके लिए वह राशि आहरित की गई थी, तो अभिदाता तुरंत निधि मे एकमुश्त रूप में भुगतान करेगा/करेगी और ऐसा न करने पर मंजूरी प्राधिकारी उरा राशि को उसकी परिलब्धियों में से एकमुश्त रूप में अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों मे वसूल करने का आदेश देगा।

(ग) वह अभिदाता जिसे विनियम 15 (2) (क) (ख) और (ग) के अंतर्गत निधि में उसके खाते में जमा राशि से राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार आहरित की गई राशि से बनाए गए अथवा अर्जित मकान का अथवा खरीदे गए मकान-स्थल का अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना बिक्री, बंधक (अध्यक्ष के नाम में बंधक से भिन्न), उपहार, विनिमय अथवा अन्य किसी प्रकार से अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी।

परंतु निम्नलिखित के लिए इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी -

(क) मकान अथवा मकान-स्थल को ऐसी अवधि के लिए पट्टे पर देने के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो; अथवा

II. कर्मचारी

(क) **छोटे कदाचार के लिए दण्ड**

(i) निन्दा करना;

(ii) उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी रिकार्ड करना;

(iii) 6 महीनों की अनधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोके रखना।

(ख) **बड़े कदाचार के लिए दण्ड**

(i) जुर्माना;

(ii) वेतनवृद्धि (वृद्धियों) को रोके रखना;

(iii) विशेष भत्तों को वापस ले लेना;

(iv) उस मामले में यदि स्टाफ वेतनमान अधिकतम तक पहुंच गया है तो 2 वर्षों की अधिकतम अवधि तक अगले निम्न स्तर तक वेतन में कमी;

(v) सेवा से बर्खास्तगी परन्तु यह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;

(vi) बर्खास्तगी।

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड लगाने का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिखित में दिया जाएगा और ऐसा कोई आदेश लिखित आरोप पत्र अधिकारी को दिए जाने के बिना पारित नहीं किया जाएगा और जांच ऐसे की जाएगी जिससे कि उसके पास आरोप अथवा आरोपों का खण्डन करने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर रहे :

परन्तु यह भी कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि

(i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बर्खास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है;

(ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है; और

(iii) अधिकारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो।

39. प्रक्रिया का अधित्याग

विनियम 38 की अपेक्षाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है :

(क) यदि वे तथ्य जिनके आधार पर अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दण्ड लगाया जाना है, वह न्यायालय अथवा सेवा न्यायालय में सिद्ध हो गए हैं ; अथवा

(ख) जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; अथवा

(ग) जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी फरार हो गया है; अथवा

(घ) जहां किसी अन्य कारण से उससे सम्पर्क करना अव्यवहारिक था; अथवा

(ङ) जहां विनियम 38 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं था :

परन्तु यह कि विनियम 38 की अपेक्षा का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है।

40. जांच के लिए शक्ति का प्रत्योजन

विनियम 38 के अंतर्गत जांच और प्रक्रिया की शक्ति अंतिम आदेश को छोड़कर, सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को, जो उस अधिकारी से वरिष्ठ है जिसके विरुद्ध प्रक्रियाएं प्रारम्भ की गई हैं और कर्मचारी के मामले में किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है :

परन्तु यह कि सक्षम अधिकारी, अपने विवेक से जांच आयोजित करने हेतु अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों सहित, बैंक में कार्यरत किसी अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

41. सामान्य जांच

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, यदि विभिन्न ग्रेड के दो अधिकारी अथवा एक अधिकारी और एक कर्मचारी किसी घटना में सम्मिलित रूप से अंतर्ग्रस्त हैं और दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है और अध्यक्ष की राय है कि तथ्यों और मामले

21. **अभिदाता की सेवानिवृत्ति**

जब कोई अभिदाता -

(i) सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी पर जाता है; अथवा

(ii) छुट्टी पर रहते हुए सेवानिवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है; अथवा

(iii) किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि उसे देय हो जाएगी;

परंतु यदि अभिदाता डयूटी पर वापस आ जाता/जाती है तो वह उस स्थिति को छोड़कर जब प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य निर्णय लिया गया हो, अपने खाते में जमा करने के लिए निधि में उस अग्रिम को जिसके लिए विनियम 13 (ग) के अंतर्गत विशेष कारण अपेक्षित हैं मंजूर करने के लिए सक्षम, मंजूरी प्राधिकारी के निदेश पर इस विनियम के अनुसरण में निधि से किए जाने वाले भुगतान की राशि की एवं उस राशि पर विनियम 12 में निर्धारित दर पर ब्याज की राशि की नकद अथवा प्रतिभूतियों मे अथवा कुछ नकद रूप में तथा कुछ प्रतिभूतियों के रूप में, किस्त द्वारा, परिलब्धियों से वसूली द्वारा अथवा अन्य किसी रूप में चुकौती करेगा/करेगी।

22. **अभिदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया**

अभिदाता के खाते में जमा राशि देय होने से पूर्व अथवा यदि राशि देय हो जाती है तो भुगतान किए जाने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर;

(क) जब अभिदाता परिवार छोड़ता है -

(i) यदि विनियम 6 के उपबंध के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया नामांकन उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में है तो निधि में उसके खाते में जमा राशि अथवा उसका कोई भाग, जिसके संबंध में नामांकन किया गया है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में अभिदाता के नामिती अथवा नामितियों को देय होगा; और

(ii) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामांकन नहीं किया गया है अथवा यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि के केवल किसी एक भाग से संबंधित है तो पूरी राशि अथवा उसका वह भाग जिसके संबंध में नामांकन नहीं किया गया है, अभिदाता के परिवार किसी सदस्य अथवा सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में कोई नामांकन नही होते हुए भी उसके परिवार के सदस्यों के बीच समान हिस्सों में देय होगा;

परंतु निम्नलिखित को कोई हिस्सा देय नहीं होगा -

(क) पुत्रों को; जो वयस्क हो चुके हैं;

(ख) मृत पुत्र के पुत्रों को, जो वयस्क हो चुके हैं;

(ग) विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं; और

(घ) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं।

यदि परंतुक के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, परिवार का कोई सदस्य हो।

परंतु यह भी कि, मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाओं और संतान अथवा संतानों को आपस में बराबर भागों में केवल वह हिस्सा प्राप्त होगा जो उसके पुत्र को तब प्राप्त होता जब यदि यह अभिदाता की मृत्यु के समय जीवित होता तथा प्रथम परंतुक के खंड (क) के उपबंधो से छूट प्राप्त होती।

(ख) यदि अभिदाता कोई परिवार नहीं छोड़ता है, यदि विनियम 6 के उपबंधो के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया गया है तो निधि में उसके खाते में जमा राशि अथवा उसका वह हिस्सा जो नामांकन से संबंधित है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती अथवा नामितियों को देय होगा।

23. **निधि से राशि के भुगतान का तरीका**

(i) जब निधि में अभिदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है तो लेखाधिकारी खंड (iii) में यथा उपबंधित तरीके से भुगतान करेगा।

(ii) जिस व्यक्ति को इन विनियमों के अंतर्गत कोई राशि दी जानी हो, सौंपी जानी हो अथवा पुनः सौंपी जानी हो अथवा परिदत्त की जानी हो यह यदि पागल हो और जिसकी संपदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अंतर्गत इस निमित नियुक्त किया गया हो तो भुगतान अथवा समनुदेशन अथवा सुपुर्दगी उस प्रबंधक को की जाएगी, उस संबंधित व्यक्ति को नहीं;

परंतु यदि कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया हो और वह व्यक्ति जिसे राशि देय है, मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है तो भुगतान भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) की शर्तों के अनुसार जिलाधीश के आदेशों के अंतर्गत ऐसे पागल की देखभाल करने वाले व्यक्ति को किया जाएगा और लेखाधिकारी केवल उतनी राशि देगा जो वह उस पागल की देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए उचित समझे और अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा उसका कोई हिस्सा, जो वह उचित समझे, पागल के परिवार के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए दिया जाएगा, जो भरण-पोषण के लिए पागल व्यक्ति पर आश्रित हैं।

(iii) आहरित की गई राशि का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को राशि देय है, उन्हें भारत में राशि प्राप्त करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। अभिदाता द्वारा भुगतान का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकरण का कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत होने वाले अथवा सेवा छोड़ने वाले अभिदाता के विवरणों को लेखाधिकारी को भेजेगा, जिसमें वह अग्रिम के लिए की गई वसूली, जो अभी की जा रही हैं और अभी वसूल की जाने वाली किस्तों की संख्या निर्दिष्ट करेगा और उन आहरणों, यदि कोई हों, के संबंध में भी बताया जाएगा, जो लेखाधिकारी द्वारा अभिदाता के खाते की अंतिम किस्त के बाद की अवधि में किए गए हों।

(ख) बही खाते से सत्यापन के पश्चात लेखाधिकारी अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम एक माह पूर्व, किन्तु अधिवर्षिता की तारीख को देय उस राशि का प्राधिकार जारी करेगा।

(ग) लेखाधिकारी भुगतान की पहली किस्त जारी करेगा: भुगतान के लिए दूसरा प्राधिकार अधिवर्षिता के पश्चात यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। यह खंड (iii) (क) के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भेजे गए विवरणों में उल्लिखित राशि के बाद अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान और प्राधिकरण के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विवरण प्रस्तुत करते समय अग्रिम की किस्तों की वापसी से संबंधित है।

(घ) लेखाधिकारी को अंतिम भुगतान के लिए खंड (iii) (क) में उल्लिखित विवरणों को भेजने के पश्चात अग्रिम/आहरण मंजूर किया जा सकता है, परंतु अग्रिम/आहरण की राशि संबंधित लेखाधिकारी से प्राधिकृत करवाकर ही आहरित की जाएगी। मंजूरी प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस संबंध में यथाशीघ्र व्यवस्था की जाएगी।

24. अंशदायी भविष्य निधि में राशि का अंतरण

यदि निधि के किसी अभिदाता को बाद में अंशदायी भविष्य निधि के लाभों में शामिल किया जाता है तो ब्याज सहित समस्त राशि को अंशदायी भविष्य निधि में उसके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

25. अंशदान के भुगतान के समय उद्घृत की जाने वाली खाता संख्या

भारत में परिलब्धियों से कटौती द्वारा अथवा नकद अंशदान करते समय अभिदाता निधि में अपने खाते में लेखाधिकारी द्वारा बताई गई संख्या का उल्लेख करेगा/करेगी। संख्या में कोई परिवर्तन होने पर लेखाधिकारी अभिदाता को बदली हुई संख्या बताएगा/बताएगी।

26. अभिदाता को दी गई पास-बुक में खातों की वार्षिक प्रविष्टियाँ करना

(i) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात यथाशीघ्र, लेखाधिकारी अभिदाताओं से पास-बुक लेगा और निधि में उसके खाते मे वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान निकाली गई अथवा जमा की गई कुल राशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल राशि और उस तारीख को अंतिम शेष को दर्शाते हुए अपेक्षित प्रविष्टियाँ करेगा।

(ii) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के पश्चात, लेखाधिकारी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या अभिदाता -

(क) विनियम 6 के अंतर्गत किए गए किसी नामांकन में कोई परिवर्तन करवाना चाहता है अथवा नहीं; और

(ख) यदि अभिदाता ने विनियम 6 (i) के उपबंध के अंतर्गत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया हो तो क्या अब उसका परिवार हो गया है अथवा नहीं।

(iii) अभिदाता अपनी पास-बुक में की गई निधि के खाते की वार्षिक प्रविष्टियों की सत्यता के संबंध में स्वयं संतुष्टि करेगा और त्रुटियों को पास-बुक की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर लेखाधिकारी के ध्यान में लाएगा।

(iv) यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षित हो तो लेखाधिकारी वर्ष में एक बार, परंतु एक बार से अधिक नहीं, अभिदाता के खाते में प्रविष्टि करने के माह के अंत तक निधि में अभिदाता को उसके खाते में जमा कुल राशि की सूचना देगा।

27. **विशेष मामलों में विनियमों के उपबंध में छूट**

यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि इन विनियमों में से किसी विनियम के लागू होने से अभिदाता को कठिनाई होती है अथवा होने की संभावना है तो वह इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभिदाता के मामले को इस प्रकार से निपटा सकता है, जो वह उचित तथा साम्ययुक्त समझे।

28. **प्रपत्र आदि**

प्राधिकरण इन विनियमों के प्रयोजन से समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 में उपलब्ध प्रपत्रों, ज्ञापनों और आदेशों आदि का उपयोग उपयुक्त आशोधन अथवा अभिव्यक्तियों में प्रतिस्थापन करके कर सकता है।

29. **निर्वचन**

यदि इन विनियमों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा और उस पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

30. **शक्तियों का प्रत्यायोजन**

अध्यक्ष, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है।

31. **अवशिष्ट मामले**

जिन मामलों के बारे में इन विनियमों के अंतर्गत कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

32. **निरसन और व्यावृत्ति**

(i) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारंभ से तत्काल पूर्व लागू अनुदेशों सहित प्रत्येक नियम, विनियम अथवा आदेश, जहाँ तक इन विनियमों में सन्निहित मामलों में से किसी से भी संबंधित प्रावधान का संबंध है, लागू नहीं रहेंगे।

(ii) उपर्युक्त के लागू न होते हुए भी, इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों के अंतर्गत अभिदाता के खाते से संबंधित की गई किसी भी बात, की गई कार्रवाई अथवा मंजूर किए गए, प्राप्त किए गए अग्रिम अथवा आहरण को इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन की गई बात, की गई कार्रवाई, मंजूर किया गया या प्राप्त किया गया अग्रिम या आहरण माना जाएगा।

अनुसूची-I

(विनियम 6 देखें)

खाता सं. .....

मैं _____ एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (भविष्य निधि) विनियम, 2001 के विनियम 3 में यथा परिभाषित परिवार का/के सदस्य है/हैं, राशि देय हो जाने से पूर्व अथवा देय हो जाने परंतु भुगतान किए जाने से पूर्व, मेरी मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित अनुसार निधि में अपने खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित करता/करती हूँ।

नामिति (नामितियों) का नाम एवं पूरा पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामिती (नामितियों) की आयु	प्रत्येक नामिती को देय हिस्सा	ऐसी आकस्मिक घटनाएँ जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा।
1.	2.	3.	4.	5.

ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, पता और संबंध, जिसे अभिदाता से पहले नामिती की मृत्यु हो जाने पर नामिती का अधिकार मिल जाएगा	यदि नामिती विनियम 3 में उपबंधित परिवार का सदस्य नहीं है, तो उसका कारण बताएं
6.	7.

दिनांक : स्थान :

अभिदाता के हस्ताक्षर .....

नाम (स्पष्ट शब्दों में).....

पदनाम .....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

नाम एवं पता

1.

2.

हस्ताक्षर

(प्रपत्र के पीछे)

प्राधिकरण के कार्यालयाध्यक्ष/लेखा कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- पदनाम ---------- द्वारा किया गया नामांकन।

प्राप्ति की तारीख ----------.

प्राधिकरण के कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम----------
तारीख ----------

अभिदाता के लिए निर्देश -

(क) अपना नाम लिखें।

(ख) निधि का नाम उपयुक्त रूप से पूरा लिखें।

(ग) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (भविष्य निधि) विनियम, 2001 में दी गई 'परिवार' शब्द की परिभाषा निम्नलिखित है।

परिवार का अर्थ -

(क) पुरुष अभिदाता के मामले में, पत्नी अथवा पत्नियों, माता-पिता, बच्चों, अवयस्क भाईयों, अविवाहित बहनों, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे और जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों तो उसके दादा-दादी से है;

परंतु यदि अभिदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो चुकी है अथवा जिस समुदाय से उसका संबंध है, उस समुदाय की परंपरागत विधि के अनुसार वह भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है तो उसे तब तक इन विनियमों से संबंधित मामलों की बाबत अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा, जब तक कि अभिदाता उसके बाद में लेखाधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता कि अब वह उसके परिवार की सदस्या है।

(ख) महिला अभिदाता के मामले में, पति के माता-पिता, बच्चों, अवयस्क भाईयों, अविवाहित बहनों, मृत पुत्र की विधवा और उसके बच्चों तथा जहाँ अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों तो उसके दादा-दादी से है;

परंतु यदि अभिदाता द्वारा लेखाधिकारी को लिखित में सूचना देकर अपने पति को अपने परिवार से अलग करने की इच्छा प्रकट की जाती है तो पति को तब तक इन विनियमों से संबंधित मामलों की बाबत परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता उसके बाद में ऐसी सूचना को लिखित में रद्द न कर दे।

टिप्पणी - 1 'संतान' का अर्थ विधिसम्मत संतान से है और इसमें उस स्थिति में दत्तक संतान भी शामिल है जब दत्तक-ग्रहण अभिदाता की शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8वां अधिनियम) के अधीन प्रतिपाल्य हो, जो कर्मचारी के साथ रहता हो तथा उसे परिवार का सदस्य समझा जाता हो और कर्मचारी ने उसे विशेष वसीयत के माध्यम से वही हैसियत दी हो जो अपनी संतान की होती है।

टिप्पणी - 2 ऐसे मामले में जहाँ व्यक्ति ने अपनी संतान को दूसरे व्यक्ति को दत्तक दिया हो और यदि, दत्तकग्राही की स्वीय विधि के अधीन, दत्तक-ग्रहण अपनी संतान की हैसियत के समान विधिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तो इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसी संतान को नैसर्गिक पिता के परिवार से अलग समझा जाएगा।

(घ) कॉलम-4 यदि केवल एक व्यक्ति का नामांकन किया जाता है तो नामिती के सामने "पूरी राशि" लिखें। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है तो प्रत्येक नामिती को भविष्य निधि की पूरी राशि में से देय हिस्से को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ङ) कॉलम-5 नामिती (नामितियों) की मृत्यु को इस कॉलम में आकस्मिकता के रूप में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

(च) कॉलम-6 अपने नाम का उल्लेख न करें।

अनुसूची-II

(विनियम 13 देखें)

अग्रिम/आहरण के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम (तकनीकी प्रकृति के समझे जाने वाले पाठ्यक्रम)

(क) मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जैसे-सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वैद्युत इंजीनियरी, दूरसंचार/रेडियो इंजीनियरी, धातुकर्म, ऑटोमोबाइल इंजीनियरी, वस्त्र प्रौद्योगिकी, चमड़ा प्रौद्यगिकी, मुद्रण प्रौद्योगिकी, रसायन प्रौद्यागिकी आदि।

(ख) विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरीं और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री पाठ्यक्रम, जैसे-सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वैद्युत इंजीनियरी टेली-इलैक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी और इलैक्ट्रोनिक्स, खनन इंजीनियरी, धातुकर्म, वैमानकीय इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी रसायन तकनीक, चमड़ा प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, मृत्तिका-शिल्प आदि।

(ग) विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रो में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित वास्तुशिल्प, नगर योजना और संबंधित क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ङ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित वाणिज्य में डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

(च) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(छ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा संचालित कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और संबंधित विषयों में डिग्री पाठ्यक्रम।

(ज) जूनियर तकनीकी विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम।

(झ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम।

(ञ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित कला/अनुप्रयुक्त कला और संबंधित विषयों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ट) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित नक्शानवीसी पाठ्यक्रम।

(ठ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित चिकित्सा पाठ्यक्रम (आयुर्विज्ञान, होम्योपेथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति सहित)।

(ड) बी.एस.सी. (गृह विज्ञान पाठ्यक्रम)।

(ढ) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होटल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ण) गृह विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(त) चिकित्सा में पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यदि वह पाठ्यक्रम चिकित्सा के नियमित 5 वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा हो।

(थ) जैवरसायन में पी.एच.डी.।

(द) शारीरिक शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम।

(ध) विधि में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम।

(न) सूक्ष्मजैवविज्ञान में "आनर्स" पाठ्यक्रम।

(प) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आई.सी.ए.) की एसोसिएटशिप।

(फ) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एण्ड एकाउंटेंट्स (आई.सी.डब्लू.ए.) एसोसिएटशिप।

(ब) व्यवसाय प्रशासन अथवा प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(भ) होटल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(म) शिक्षा (विज्ञान) स्नातकोत्तर और शिक्षा स्नातक (बी.एड)।

(य) शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.एड) और शिक्षा स्नातक (बी.एड)।

(र) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया का कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम।

(ल) वाणिज्यपोत (मर्चेंटशिप) पर भावी जहाज़रानी अधिकारियों को प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' पर दिया जाने वाला प्री-शिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(व) समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय में संचालित समुद्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम।

टिप्पणी : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला में प्रवेश के लिए आरंभिक प्रभारों के भुगतान भी अग्रिम अथवा अंतिम आहरणों के लिए पात्र होंगे।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन 3/4/143/2001 असाधा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2001

No. G-27038/1/98-TAMP.—In exercise of the powers conferred by Section 123 A read with Section 47H(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act No. 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports with the concurrence of the Central Government, hereby make the following Regulations namely :

1. Short Title and Commencement

(i). These Regulations may be called the Tariff Authority for Major Ports (Provident Fund) Regulations, 2001.

(ii). They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Application

These Regulations shall apply to all the officers/employees who are borne on the regular establishment of the Authority save the following:

(i). The Chairman.

(ii). The Member (including a part-time Member).

(iii). A person subject to discharge from service on less than one month's notice.

(iv). A person appointed on a contract basis.

(v). A person employed after superannuation.

3. Definitions

(1). In these Regulations, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

(i). "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (Act No. 38 of 1963).

(ii). "Accounts Officer" means the officer to whom the duty to maintain the Provident Fund account of the subscriber has been assigned by the Head of the Authority.

(iii). "Authority" means the Tariff Authority for Major Ports constituted under Section 47 A of the Act.

(iv). "Chairman" means the Chairperson of the Tariff Authority for Major Ports, appointed under Section 47 A of the Act.

(v). "Deposit" means a deposit when unclaimed / unpaid amount, after drawal from the Provident Fund, account of the Authority, is deposited

(vi). "Emoluments" means pay, leave salary, or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules of the Govt., and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible, and any other remuneration of nature of pay received in respect of foreign service.

(vii). "Employee" means an employee appointed in the office of the Authority against a post under the respective Service Regulations.

(viii). "Family" means-

(a). In the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent;

provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall thereafter be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these Regulations relate unless the subscriber

subsequently intimates, in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

(b). In the case of a female subscriber, the husband parents, children, minor brothers, unmarried sister, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grand parent;

provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall thereafter be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matter to which these Regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice given in writing.

Note-1. "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (Act 8 of 1890), who lives with the employee and is treated as a member of the family and to whom the employee has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

Note-2. In a case in which a person has given his child in adoption to another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognised as conferring the status of a natural child, such a child shall, for the purpose of these Regulations, be considered as excluded from the family of the natural father.

(ix). "Fund" means the Tariff Authority for Major Ports Provident Fund.

(x). "Government" means the Central Government.

(xi). "Head of the Authority" means the Chairman.

(xii). "Head of the Office" means any officer so declared by the Head of the Authority.

(xiii). "Leave" means any kind of leave recognised under the Fundamental Rules of the Govt. or the Civil Service Regulations or the Leave Regulations of the Authority.

(xiv). "Member" means a Member (including a part-time Member) of the Tariff Authority for Major Ports appointed under Section 47 A of the Act.

(xv). "Permanent Employee" means an employee who holds a substantive or provisionally substantive post or who holds a lien on a permanent post or who would have held a lien on a permanent post had the lien not been suspended.

(xvi). "Person" or "persons" shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a Fund such

as the Prime Minister's National Relief Fund or any other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said Funds or Trust authorised to receive payments.

(xvii). "Public Servant" means the same thing as defined under Section 112 of the Act.

(xviii). "Sanctioning Authority" for grant of advance/ withdrawal from the Fund shall be the Chairman or any other officer authorised in this regard by the Chairman.

(xix). "Schedule" means a Schedule attached to these Regulations.

(xx). "Subscriber" means an employee / officer of the Authority contributing to the Fund.

(xxi). "Year" means a financial year.

(2). Words and expressions used and not defined in these Regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925) or in the Fundamental Rules of the Govt.

(3). Nothing in these Regulations shall apply to any existing Provident Fund unless specifically so stipulated.

4. Constitution of the Fund

(i). There shall be established a Fund called the Tariff Authority for Major Ports Employees' Provident Fund that shall vest in and be administered by a Board of Trustees in accordance with the Regulations to be framed therefor.

(ii). The Fund shall be maintained in rupees.

(iii). All sums paid into the Fund under these Regulations shall be credited in the books of account of the Tariff Authority for Major Ports Employees' Provident Fund'.

5. Eligibility conditions

All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners (other than those covered by the Contributory Provident Fund Scheme) and all permanent employees shall subscribe to the Fund;

provided that no such employee as has been required or permitted to subscribe to a Contributory Provident Fund shall be eligible to join or continue as a subscriber to the Fund.

NOTE-1.Probationers shall be treated as temporary employees for the purpose of these Regulations.

NOTE-2. A temporary employee who completes one year of continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the subsequent month.

NOTE-3. Temporary employees (including probationers) who have been appointed against regular posts (vacancies) and are likely to continue for more than a year may subscribe to the Fund any time before completion of one year's service.

6. Nominations

(i). A subscriber shall, at the time of joining the Fund send to the Accounts Officer through the Head of Office a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his/her credit in the Fund in the event of his/her death, before that amount has become payable or having become payable but has not been paid;

provided that where a subscriber is a minor he/she shall be required to make the nomination only on his/her attaining the age of majority;

provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his/her family;

provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he/she was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his/her credit in such other Fund has been transferred to his/her credit in this Fund, be deemed to be a nomination duly made under these Regulations until he/she makes a nomination in accordance with these Regulations.

(ii). If a subscriber nominates more than one person under Regulation 6(i), he/she shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his/her credit in the Fund at any time.

(iii). Every nomination shall be made in the form set forth in Schedule-I annexed to these Regulations.

(iv). A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer through the Head of Office. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of these Regulations.

(v). A subscriber shall provide in a nomination-

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his/her predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, when the subscriber confers such right on more than one person, he/she shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee; and,

(b) the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contigency specified therein;

provided that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he/she shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under Regulation 6(v) (a) shall become invalid in the event of his/her subsequently acquiring other member or members in his/her family.

(vi). Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under Clause 6(v) (a) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of Clause 6 (v) (b), the subscriber shall send to the Accounts Officer, through the Head of Office, a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of these Regulations.

(vii). Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Head of office.

Note 1: A nomination made under these Regulations shall become invalid under another set of Regulations if not revised as required by the later set of Regulations.

Note 2 : There shall be no objection to a subscriber changing the nomination in this regard even after retirement/discharge, etc., provided the changes or revised nomination are made and notified in accordance with the provisions of these Regulations.

Note 3 : A nomination of a subscriber shall be held valid even if he dies before it reaches the Accounts Officer.

7. Subscriber's Account

An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown-

(i) his/her subscription;

(ii) interest, as provided by Regulation 12 on subscription; and,

(iii) advances and withdrawals from the Fund.

Note: As soon as an employee is admitted to a Fund, the Fund Account number allotted to him / her shall be entered on the right hand top of page of his/her Service Book by means of a rubber stamp.

8. Conditions of subscriptions

(i). A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during the period when he/she is under suspension;

provided that a subscriber may, at his/her option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half-pay or half-average pay;

provided further that a subscriber on retirement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears subscriptions payable for that period.

Note: A subscriber need not subscribe during a period treated as dies-non.

(ii). The subscriber shall intimate his/her election not to subscriber during the leave referred to in proviso to Clause (i).

(iii). Failure to give due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

(iv). The option of a subscriber intimated shall be final.

(v). A subscriber who has under Regulation 21 of these Regulations withdrawn the amount standing to his/her credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he/she returns to duty.

9. Rate of subscription

(A). The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself/herself, subject to the following conditions namely:

(i). It shall be expressed in whole rupee.

(ii). It may be any sum, so expressed not less than 6% of his/her emoluments and not more than his/her total emoluments.

(iii). When an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6%, the fraction of a rupee shall be rounded to the nearest whole rupee, 50p. counting as the next higher rupee.

(B). For the purpose of Clause (A) (i) the emoluments of a subscriber shall be –

(i) the emoluments to which he is entitled on 31st March of the preceding year,

provided that-

(a) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his/her emoluments shall be the emoluments to which he/she was entitled on the first day after his/her return to duty; and,

(b) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his/her emoluments shall be the emoluments to which he/she would have been entitled had he/she been on duty in India.

(ii) in the case of a subscriber who was not in service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he/she was entitled on the date of joining the service shall be emoluments for the purpose.

(C). The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his/her monthly subscription in each year in the following manner-

(i) if he/she was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he/she makes in this behalf from his/her pay bill for that month;

(ii) if he/she was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he/she makes in this behalf from his/her first pay bill after his/her return to duty;

(iii) if he/she has entered service for the first time during the year, by the deduction which he/she make in this behalf, from his/her pay bill for the month during which he/she joins the Fund;

(iv) if he/she was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he/she causes to made in this behalf from his/her salary bill for the month; and,

(v) if he/she was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him/her into the bank on account of subscription for the month of April in the current financial year.

(D). The amount of subscription so fixed shall be-

(i) reduced once at any time during the course of the year; or,

(ii) enhanced twice during the course of the year; or,

(iii) reduced and enhanced as aforesaid;

provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in Clause (A);

provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he/she has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than referred to above.

10. Transfer to foreign service or deputation out of India

When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he/she shall remain subject to the Regulations of the Fund in the same manner as if he/she was not so transferred or sent on deputation.

11. Realisation of subscription

(i). When emoluments are drawn from a bank in India or from an authorised office of disbursement outside India, recovery of subscription on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from the emoluments themselves.

(ii). When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his/her dues monthly to the Accounts Officer;

provided that in the case of a subscriber on deputation to the Govt. Deptt., body corporate, owned or controlled by the Govt., the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such Deptt. or body.

(iii). If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he/she is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as is provided in Regulation 8, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate provided in Regulation 12, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under Regulation 13 (C);

provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

12. Interest

(i). Subject to the provisions of Clause (v), the Authority shall credit to the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year according to the method of calculation prescribed from time to time by the Government;

provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 4%, all subscribers to the Fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4%; shall be allowed interest at 4%;

provided further that a subscriber who was previously subscribing to any other Provident Fund and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his/her credit in his/her Fund under Regulation 24, shall also be allowed interest at 4%, if he/she had been receiving that rate of interest under the Regulations and Rules of such other Funds under a provision similar to that of the above provision.

(ii). Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner:

(a). On the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year -- interest for twelve months;

(b). On sums withdrawn during current year -- interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(c). On all sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year -- interest from the date of deposit upto the end of the current year;

(d). The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupees, fifty paise counting as the next higher rupee;

provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(iii). The date of deposit shall, in the case of recoveries from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of amounts forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month;

provided that when there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his/her subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the Regulations, irrespective of the month in which it was actually drawn;

provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the provisions to the Regulation 11 (ii), the date of deposit shall be deemed to the first day of the month if it is received by the Accounts officer before the fifteenth day of that month;

provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his/her subscription, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(iv). In addition to any amount to be paid under Regulations 20, 21, or 22, interest thereon at the end of the month preceding that in which the payment is made, or up to the end of the sixth month after the month in which such amount, became payable, whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such payment is to be made;

provided that if the Accounts Officer has intimated to that person (or his/her agent) a date on which he/she is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the cheque, as the case may be;

provided further that where a subscriber on deputation to the Authority is subsequently absorbed in the Authority with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulation of the

subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject to the conditions that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under these Regulations.

(v). Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he/she informs the Accounts Officer that he/she does not wish to receive it, but if he/she subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he/she asks for it.

(vi). The interest on amounts which under Regulations 11 (iii), 20 or 21 are placed to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rate as may be successively prescribed under Clause (i) and as far as possible in the manner described in this Regulation.

(vii). In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his/her credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the Fund, shall be repaid by him/her with interest thereon in one lumpsum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his/her emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. The rate of interest to be charged on overdrawn amount shall be 2 ½ % (two and a half percent) over and above the normal rate on Fund balance under Clause (i). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to the Fund under a distinct sub-head "Interest on overdrawals from the Fund".

13. Advances from the Fund

(A). The Sanctioning Authority may sanction the payment to any subscriber an advance consisting of a sum of whole rupee and not exceeding in amount three months' pay or half the amount standing to his/her credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes:

(i). To pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his/her family or any person actually dependent on him/her.

(ii). To meet cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his/her family or any person actually dependent on him/her in the following cases, namely-

(a) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and,

(b) for any medical engineering or other technical or specialized course (indicated in Schedule II annexed to these Regulations) in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years.

(iii). To pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies.

(iv). To meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his/her family or any person actually dependent upon him/her, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source.

(v). To meet the cost of the subscriber's defence where he/she engages a legal practitioner to defend himself/herself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his/her part.

(vi). To purchase consumer durable such as TV, VCR/VCP, Washing machine, Cooking Range, Geysers and Computers.

(B). The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in Clause (A).

(C). An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in Clause (A) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(D). When an advance is sanctioned under Clause (C) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(E). After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under Regulation 23 (iii).

Note: A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (ii) of Clause (A).

14. Recovery of advances

(i). An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Sanctioning Authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty four. In special cases where the amount of advance exceeds three month's pay of the subscriber under Regulation 13 (C), the Sanctioning Authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty six. A subscriber may, at his/her option, repay more than one instalment in a month.

(ii). Recovery shall be made in the manner prescribed in Regulation 11 for the realization of the subscription, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he/she is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half-pay or half average pay, as the case may be. The recovery shall be postponed, on the subscriber's written request, by the Sanctioning Authority during recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(iii). If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lumpsum or in monthly instalments not exceeding twelve as may directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required.

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-Regulation.

(iv). Recoveries made shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

15. Withdrawals from the Fund

(A). Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the authority competent to sanction an advance for special reasons under Regulation 13 (C), at any time --

(1) after the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his / her retirement on superannuation, whichever is earlier, from

the amount standing to his / her credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely -

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely -

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and,

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.

(b) meeting the expenditure in connection with betrothal / marriage of the subscriber or his / her sons or his / her daughters, and any other female relation actually dependent on him / her;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his / her family or any person actually dependent on him / her; and,

(d) meeting the cost of consumer durables such as TV, VCR/VCP, Washing machines, Cooking range, Geysers, Computer.

(2) during the service of a subscriber from the amount standing to his / her credit in the Fund for one or more of the following purposes namely -

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his/her residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Society;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable houses or ready-built flat for his/her residence;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his/her residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for purpose;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovation, additions or alterations or up keep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan from the Authority; and,

(f) constructing a house on a site purchased under Clause (A)(2)(c).

(3) within twelve months before the date of the subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the Fund, without linking to any purpose; and,

(4) once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the employees of the Authority on self-financing and contributory basis.

Note 1: If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his/her duty with the assistance of loan taken from the Authority he/she shall be eligible for the grant of a final withdrawal under Clause (A) (2) (a), (c) & (f) for purchase of a house-site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his/her duty.

Note –2: Withdrawal under Clause (A) (2) (a), (d), (e) or (f) shall be sanctioned only after subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in case where the plan is actually got to be approved.

Note 3: The amount of withdrawal sanctioned under Clause (A) (2) (b) shall not exceed ¾th of the balance on the date of application together with the amount of previous withdrawal under Clause (A) (2) (a), reduced by the amount of previous withdrawal.

Note 4: Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (A) (2) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive PF money in nomination made by the subscriber.

Note 5: Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under clause (A) (2) (a) or (f) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 3.

Note 6: A withdrawal under this Regulation shall not be sanctioned if an advance under Regulation 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(B). Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his/her credit in the Provident Fund account with reference to his/her Provident Fund Accounts Book with evidence of subsequent contribution, the Sanctioning Authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the Sanctioning Authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the Sanctioning Authority about the amount standing to his/her credit, in order to determine the admissibility of the amount of the withdrawal, the Sanctioning Authority may ascertain it by making a reference to the Accounts Officer. The sanction for the withdrawal shall prominently indicate the Provident Fund Account Number and a copy of the sanction invariably be endorsed to the Accounts Officer. The Sanctioning Authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber. In case the Accounts Officer reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount standing in the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lump sum by him/her to the Fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the Sanctioning Authority to be recovered from his/her emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

(C). After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under Regulation 23 (iii) (a).

16. Conditions for withdrawal

(A). Any amount withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in Regulation 15 from the amount standing to his/her credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay, whichever is less. The Sanctioning Authority may, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to ¾th of the balance at his/her credit in the Fund having due regard to –

(i) the object for which the withdrawal is being made;

(ii) the status of the subscriber; and,

(iii) the amount to his/her credit in the Fund in case of withdrawal under Regulation 15 (A) (1) and upto 90% of balance at credit in cases of withdrawal under Regulation 15 (A) (2);

provided that the withdrawal admissible under Regulation 15 (A) (3) shall not exceed 90% of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund.

Note 1: A withdrawal to a subscriber under Regulation 15 (A) (1) (a) may be permitted annually so long as the concerned child of the subscriber continues to pursue the course.

Note 2: In case when a subscriber has to pay in instalment for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a Housing Building Cooperative Society, he/she shall be permitted to make withdrawal when he/she is called upon to make payment in any instalment: Every such payment shall be treated as a payment for separate purpose for the purpose of Clause (A)

(B). A subscriber who has been permitted to draw money from the Fund under Regulation 15 shall satisfy the Sanctioning Authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilized for the purpose for which it was withdrawn, and if he/she fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and default of such repayment, it shall be ordered by the Sanctioning Authority to be recovered from his/her emoluments either in a lump sum or in such number of monthly installments, as may be determined by the Chairman.

(C). A subscriber who has been permitted under Regulation 15 (2) (a), (b) & (c) to withdraw money from the amount standing to his/her credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Chairman), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Chairman;

provided that such permission shall not be necessary for –

(a) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years; or,

(b) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Bank, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Government which advances, loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(ii). The subscriber shall submit a declaration not later than 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site as the case may be, continues to be in his/her possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required produce before the Sanctioning Authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also documents on which his/her title to the property is based.

(iii). If, at any time before his/her retirement; the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Chairman, he/she shall forthwith repay the sum so withdrawn by him/her in a lump sum to the Fund, and in default of such repayment; the Sanctioning Authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such monthly instalment as may be determined by it.

Note: A subscriber who has taken loan from the Authority and in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Authority shall be required to furnish a declaration to the following effect namely:

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but mortgaged to the Authority."

17. Wrongful use of advance/withdrawal from Fund

Notwithstanding anything contained in these Regulations, if the Sanctioning Authority has reason to doubt that an amount drawn as an advance or withdrawal from the Fund under these Regulations, has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, it shall communicate in writing to the subscriber the reasons for its doubt and require him/her to explain in writing within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the Sanctioning Authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days or no explanation is submitted by the subscriber within the said prescribed period, the Sanctioning Authority shall enforce the subscriber to repay the amount to the Fund forthwith or in default order the amount to be recovered by deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he/she is on leave. If, however, the total amount to be repaid is more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in the monthly instalments of moieties of his/her emoluments till the entire amount is repaid by him/her.

18. Fixing of responsibility for overdrawal

In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his/her credit on the date of the withdrawal, the overdrawn amount shall be repaid by him/her with interest thereon at the rate determined under Regulation 12 (vii). Whatever be the reasons of the overdrawals, the subscriber cannot draw the amount unless it is sanctioned, the sanctioning and/or accounts authority has the responsibility in the overdrawal and in case where overpayments occur, responsibility shall be fixed and action taken both against the administrative and the accounts authorities.

19. Conversion of an advance into a withdrawal

A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance may convert, at his/her discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the Sanctioning Authority, the balance outstanding against him/her into a final withdrawal on its satisfying the conditions laid down in Regulations 15 & 16

20. Final withdrawal of accumulation in the Fund

When a subscriber quits, or is dismissed or is retrenched from service, the amount standing to his/her credit in the Fund shall become payable to him/her

21. Retirement of Subscriber

When a subscriber-

(i) has proceeded on leave preparatory to retirement; or

(ii) while on leave, has been permitted to retire; or,

(iii) has been declared by a competent medical authority to be unfit for further service,

the amount standing to his/her credit in the Fund shall become payable to him/her;

provided that the subscriber, if he/she returns to duty, shall except when the Authority decides otherwise, repay to the Fund for credit to his/her account, the amount paid to him/her from the Fund in pursuance of this Regulation with interest thereon at the rate prescribed in Regulation 12 in cash or securities or partly in cash and partly in securities, by instalment, by recovery from his/her emoluments or otherwise as shall be directed by the Sanctioning Authority competent to sanction an advance for grant of which, special reasons are required under Regulation 13 (C).

22. Procedure on death of a subscriber

On the death of a subscriber before the amount standing to his/her credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made;

(A). When the subscriber leaves family-

(i) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provision of Regulation 6 in favour of a member or members of his/her family subsists the amount standing to his/her credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his/her nominee or nominees in the proportion specified in the nomination; and,

(ii) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his/her in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his/her family become payable to the members of his/her family in equal shares;

provided that no share shall be payable to-

(a) sons who have attained majority;

(b) sons of a deceased son who have attained majority;

(c) married daughters whose husband are alive; and,

(d) married daughters of a deceased son whose husbands are alive.

if there is any member of the family other than those specified in clauses (a), (b), (c) & (d) of the proviso.

provided further that the widow or widows and the child or children of the deceased son shall receive between them in equal part only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (a) of the first proviso.

(B). When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him/her in accordance with the provisions of Regulation 6 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his / her credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his/her nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

23. Manner of payment of amount from the Fund

(i). When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, the Accounts Officer shall make payment as provided under Clause (iii).

(ii). If a person to whom, under these Regulations, any amount is to be paid, assigned or reassigned or delivered, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or assignment or delivery shall be made to such manager and not to the person concerned;

provided that where no manager has been appointed and the person to whom the amount is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912, to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him/her for maintenance.

(iii). Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangement to receive payment in India. The following procedures shall be adopted for claiming payment by a subscriber:

(a). The Head of the Office of the Authority shall forward the details of the subscriber retiring or quitting service to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also the withdrawals, if any, taken after the period covered by the last instalment of the subscriber's account sent by the Accounts Officer.

(b). The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount payable to the subscriber at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

(c). The Accounts Officer shall issue the first instalment of payment: A second authority for payment shall be issued as soon as possible after superannuation. This shall relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the details forwarded by the Head of the Office of the Authority under Clause (iii) (a) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of submission of details by the Head of the Office of the Authority.

(d). After forwarding the details referred to in Clause (iii) (a) for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of the Sanctioning Authority is received by him.

24. Transfer of amount to the Contributory Provident Fund

If a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund, the amount of his/her subscription, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his/her account in the Contributory Provident Fund.

25. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription

When paying a subscription in India either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his/her account in the Fund, communicated to him/her by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

26. Making annual entries of accounts in the pass book supplied to the subscriber

(i). As soon as possible after the 31st March of each year, the Accounts Officer shall obtain the pass books of the subscribers and shall make requisite entries of his/her account in the Fund, showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or deposited during the year, the amount withdrawn during the year, the total amount of the interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date.

(ii). After the 31st March of each year, the Accounts Officer shall also ascertain whether the subscriber –

(a) desires to make any alteration in any nomination made under Regulation 6; and,

(b) has acquired a family in case where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his/her family under the provision of Regulation 6 (i).

(iii). Subscriber shall satisfy themselves as to the correctness of the annual entries of the account made in their pass books and errors shall be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of the receipt of the pass book.

(iv). The Accounts Officer shall; if required by a subscriber once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his/her credit in the Fund at the end of the last month for which his/her account has been written up.

27. Relaxation of the provision of the Regulations in individual cases

When the Chairman is satisfied that the operation of any of these Regulations causes or is like to cause undue hardship to a subscriber, he may, notwithstanding anything contained in these Regulations, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to him to be just and equitable.

28. Forms etc.

The Authority may use the format of requisite Forms, Memorandae and orders etc., available in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time for the purpose of these Regulations subject to appropriate modification or replacement of expressions.

29. Interpretation

If any question relating to the interpretation of these Regulations arises, it shall be referred to the Authority whose decision thereon shall be final and binding.

30. Delegation of Powers

The Chairman may, by general or special order, direct that any power exercisable by him shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by such officer / officers of the Authority as may be specified in the order.

31. Residual matters

Matters with respect to which no specific provision has been made under these Regulations, shall be regulated under corresponding Provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time.

32. Repeal and Saving

(i). On the commencement of these Regulations, every rule, regulation or order, including instructions in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these Regulations, cease to operate.

(ii). Notwithstanding such cessation of operation, anything done or any action taken or any advance or withdrawal granted to, or accrued to the credit of the subscriber, under the rules, regulations, orders and instructions so repealed, shall be deemed to have been done, taken, granted or accrued under the corresponding provisions of these Regulations.

SCHEDULE-I

(See Regulation 6)

Account No. .. ..

I, ... hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s) of the family as defined in Regulation 3 of the TAMP (Provident Fund) Regulations, 2001, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name & full address of the nominee (s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee (s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in Regulation 3 indicate the reasons
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Dated this ..... day of 2001..... at .....

Signature of the subscriber..... .....

Name in Block letters ....

Designation .....

Two witnesses to signature *Signature*

Name and address

1.

2.

(Reverse of the form)

Space for use by the head of Office of the Authority/Accounts Office

Nomination by Shri/Smt./Kumari..... Designation ....

Date of receipt of nomination .....

Signature of Head of Office of the Authority/Accounts Officer

Designation .....

Date.....

Instructions for the subscriber-

(a) Your name may be filled in.

(b) Name of the fund may be completed suitably.

(c) Definition of term "family" as given in the TAMP (Provident Fund) Regulations 2001, is reproduced below.

Family means-

(a) In the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these Regulations relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

(b) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in

matters to which these Regulations relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note 1- "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (Act 8 of 1890), who lives with the employee and is treated as a member of the family and to whom the employee has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

Note-2-In a case in which a person has given his child in adoption to another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognised as conferring the status of a natural child, such a child shall, for the purpose of these Regulations, be considered as excluded from the family of the natural father.

(d) Col.4 If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of Provident Fund shall be specified.

(e) Col.5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col.6 Do not mention your name.

SCHEDULE –II

(See Regulation 13)

Course of study for advances / withdrawals (course to be treated as technical in nature)

(a) Diploma course in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication /Radio Engineering, Metallurgy, Automobile Engineering, Textile Technology, Leather Technology, Printing Technology, Chemical Technology, etc., conducted by recognised technical institutions.

(b) Degree courses in the various fields of Engineering and Technology, e.g., Civil, Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Tele-Electrical Communication Engineering and Electronics, Mining Engineering, metallurgy, Aeronautical Engineering, Chemical Engineering, Chemical Technology, Leather Technology, Pharmacy, Ceramics, etc. etc., conducted by Universities and recognised technical institutions.

(c) Post-Graduate courses in the various fields of Engineering and Technology conducted by the Universities and recognised institutions.

(d) Degree and Diploma courses in Architecture, Town Planning and allied fields conducted by recognised institutions.

(e) Diploma and Certificate courses in Commerce conducted by recognised institutions.

(f) Diploma courses in Management conducted by recognised institutions.

(g) Degree courses in Agriculture, Veterinary Science and allied subjects conducted by recognised Universities and institutions.

(h) Courses conducted by Junior Technical Schools.

(i) Courses conducted by Industrial Training Institutes under the Ministry of Labour and Employment (DGE & T).

(j) Degree and Diploma courses in Art/Applied Art and allied subjects conducted by recognised institutions.

(k) Draftsmanship courses by recognised institutions.

(l) Medical courses (including Allopathic, Homeopathic, Ayurvedic and Unani systems) conducted by recognised institutions.

(m) B.Sc. (Home Science) courses.

(n) Diploma course in Hotel Management conducted by recognised institutions.

(o) Degree and Post-Graduate courses in Home Science.

(p) Pre-Professional course in Medicine if part of regular 5 years course in Medicine.

(q) Ph. D in Biochemistry.

(r) Bachelor and Master's Degree courses in Physical Education.

(s) Degree and Post-graduate course in Law.

(t) "Honours" course in Microbiology.

(u) Associateship of Institute of the Institute of Charted Accounts.

(v) Associateship of the Institute of Costs and Works Accounts.

(w) Degree and Master's course in Business Administration or Management.

(x) Diploma course in Hotel Management.

(y) M.Sc. of Education and Bachelor of Education.

(z) Master of Education and Bachelor of Education.

(aa) The Company Secretaryship Course of the Institute of Company Secretaries of India.

(ab) The Course of pre-sea training imparted on the Training Ship "Rajendra" to prospective navigation officers on merchantships.

(ac) The course of Marine Engineering conducted in the Directorate of marine Engineering Training.

NOTE – Payment of initial charges for admission to the National Defence Academy, Khadakvasla, will also qualify for advances or final withdrawals.

S. SATHYAM, Chairman
[ADVT. III/IV/143/2001/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054